भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4618

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए राज्यों को सहायता

4618. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

श्रीमती भारती पारधी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राजमार्ग अनुरक्षण के लिए निवारक उपाय, नियमित निरीक्षण और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र सहित एक व्यापक दीर्घकालिक नीति है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार राज्य राजमार्गों (एसएच) के अनुरक्षण और सुधार के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को एसएच के अनुरक्षण और सुधार के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो राज्य-वार, विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर किए गए सड़क सुरक्षा संपरीक्षा की आवृत्ति और दायरा क्या है; और

(ङ) सुरक्षा सुविधाओं में सुधार और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उक्त संपरीक्षा की सिफारिशों को किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू किया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क के अनुरक्षण को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदायी रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी एनएच खंडों के अनुरक्षण और मरम्मत (एमएंडआर) को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यतंत्र विकसित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएँ मुख्यतः तीन तरीकों अर्थात्- (i) निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी), (ii) हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) और (iii) इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण (ईपीसी) से क्रियान्वित की जाती हैं। निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाओं के लिए अनुरक्षण सहित रियायत अवधि 15 से 20 वर्ष और हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) के लिए सामान्यतः 15 वर्ष है। रियायतग्राही परियोजना की रियायत अवधि के भीतर संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। केवल ईपीसी परियोजनाओं के मामले में, बिटुमिनस फुटपाथ कार्यों के लिए दोष देयता अवधि (डीएलपी) 5 वर्ष और कंक्रीट फुटपाथ कार्यों के लिए 10 वर्ष है।

टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) और इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) परियोजनाओं के लिए, अनुरक्षण सहित रियायत अवधि 20 से 30 वर्ष है। संचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि सामान्यतः 9 वर्ष है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, जहाँ डीएलपी समाप्त हो चुका है या बीओटी/एचएएम/टीओटी/इनविट परियोजना की किसी रियायत अवधि के अंतर्गत नहीं है, सरकार ने निष्पादन आधारित अनुरक्षण अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक अनुरक्षण अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से अनुरक्षण कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है। एसटीएमसी कार्य सामान्यतः 1-2 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं, जबकि पीबीएमसी कार्य लगभग 5-7 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं।

सड़क की स्थिति में चिन्हित दोषों/समस्याओं की मरम्मत के साथ-साथ अन्य अनुरक्षण/मरम्मत कार्य संविदाकार/रियायतग्राही द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाते हैं। नियमित फील्ड रिपोर्टों और चूककर्ता संविदाकार/रियायतग्राही के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुबंध दस्तावेज़ों में शामिल दंड प्रावधानों के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

सरकार ने एनएचएआई वन/तत्पर नामक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में दोष सुधार सहित गुणवत्ता की निगरानी शुरू की है। इस ऐप का उपयोग फील्ड अधिकारी/इंजीनियर/संविदाकार/रियायतग्राही सीधे साइट पर बैठकर दैनिक और मासिक दोषों की डिजिटल रिपोर्टिंग, निरीक्षण के लिए जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प्ड तस्वीरें प्रस्तुत करने और परीक्षण परिणामों को डिजिटल रूप से अपलोड करने के माध्यम से करते हैं।

सरकार ने गुणवत्ता संबंधी मुद्दों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित मुद्दों/शिकायतों के बारे में नागरिक फीडबैक के लिए लोक शिकायत पोर्टल, मोबाइल आधारित राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने की प्रणाली संस्थापित की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जिनमें निर्माण की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, के बारे में अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से प्राप्त शिकायतों के लिए, सरकार ने वेब पोर्टल के माध्यम से इन शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए एक आंतरिक कार्यतंत्र स्थापित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएच परियोजनाओं के लिए अधिकारियों/रियायतग्राहियों/संविदाकारों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

(ख) और (ग) राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्य सड़कों का विकास और अनुरक्षण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार की जिम्मेदारी है।

तथापि, सरकार ने संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के

विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के उपार्जन और जारी करने का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल हैं, अनुलग्नक में संलग्न है।

(घ) और (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए स्वतंत्र सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से सभी चरणों (डिजाइन चरण, निर्माण चरण, यातायात के लिए खोलते समय और संचालन के दौरान) पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा अनिवार्य कर दिया है।

इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यस्थल (साइट) पर कार्यों के दिन-प्रतिदिन के पर्यवेक्षण के लिए परामर्शदाता (प्राधिकरण के इंजीनियर / स्वतंत्र इंजीनियर) नियुक्त किए जाते हैं, जिनके पास सड़क सुरक्षा से संबंधित निरीक्षण करने और इसके सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ भी होता है।

कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारी तथा स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षक समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्माण की गुणवत्ता का अनुपालन रियायतग्राही/संविदाकार द्वारा किया जा रहा है। ऐसी जाँच/पर्यवेक्षण के दौरान, यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसे आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने हेतु रियायतग्राही/संविदाकार के ध्यान में लाया जाता है। यदि किसी अतिरिक्त उपाय की अनुशंसा की जाती है, तो ऐसे सुधार कार्यों को परियोजना के एक भाग के रूप में या एक स्वतंत्र कार्य के रूप में करता है।

अनुलग्नक

'राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए राज्यों को सहायता' के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव,श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे,श्री संजय उत्तमराव देशमुख, श्रीमती भारती पारधी द्वारा पूछे गए दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4618 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विगत तीन वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों के उपार्जन और जारी करने का विवरण :

-

							राशि करोड़ रू में
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
		उपार्जन	**जारी करना**	**उपार्जन#**	**जारी करना #**	**उपार्जन#**	**जारी करना #**
1	आंध्र प्रदेश	380.19	356.55	420.10	485.48	420.00	322.56
2	अरुणाचल प्रदेश	147.65	183.63	167.75	238.00	168.04	269.13
3	असम	169.64	122.82	194.65	223.24	193.55	222.59
4	बिहार	226.47	226.47	258.43	258.43	255.17	255.17
5	छत्तीसगढ़	281.12	86.92	320.19	353.60	322.62	177.28
6	गोवा	16.26	0.00	18.47	48.16	17.79	29.70
7	गुजरात	509.31	249.12	586.35	73.79	585.01	680.70
8	हरियाणा	197.73	0.00	205.63	108.60	203.31	189.00
9	हिमाचल प्रदेश	117.73	169.05	136.32	136.32	130.95	130.96
10	झारखंड	184.96	81.56	207.57	192.64	208.51	251.61
11	कर्नाटक	513.13	465.27	608.06	660.91	608.81	453.85
12	केरल	147.19	133.46	171.14	186.37	166.06	166.06
13	मध्य प्रदेश	632.99	573.96	719.10	778.13	721.61	682.14
14	महाराष्ट्र	783.19	1,084.15	886.63	886.63	891.52	891.52
15	मणिपुर	42.10	13.81	48.37	146.98	46.87	15.19
16	मेघालय	47.51	43.08	54.83	78.42	55.37	61.55
17	मिजोरम	38.20	10.96	43.62	35.60	43.86	55.45
18	नगालैंड	31.31	28.39	35.54	46.09	35.79	32.09
19	ओडिशा	340.95	313.52	387.41	423.41	392.13	392.13
20	पंजाब	176.96	106.84	195.33	72.04	195.97	174.52
21	राजस्थान	715.82	906.62	812.41	745.90	816.17	1120.67
22	सिक्किम	14.09	17.04	16.27	28.04	16.18	21.72
23	तमिलनाडु	402.67	377.63	457.11	486.15	457.75	425.76

							राशि करोड़ रू में
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
24	तेलंगाना	304.27	275.89	335.09	366.38	335.58	335.59
25	त्रिपुरा	21.23	19.42	23.94	25.92	24.01	23.94
26	उत्तर प्रदेश	702.42	658.75	777.40	821.07	777.88	784.51
27	उत्तराखंड	114.01	378.17	129.83	140.46	129.95	55.07
28	पश्चिम बंगाल	240.31	217.90	275.67	298.08	272.75	272.75
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.49	15.81	19.75	16.68	19.75	16.06
30	चंडीगढ़	6.55	0.00	7.39	0.00	7.40	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	2.38	5.74	0.31	6.50	0.00	6.49
32	दमन और दीव						
33	दिल्ली	32.06	0.00	36.31		36.31	0.00
34	जम्मू और कश्मीर	113.61	343.61	128.67	206.67	128.67	128.67
35	लद्दाख	289.06	83.44	326.41	68.10	326.41	95.56
36	पुदुचेरी	10.39	7.83	11.76	9.94	11.76	9.94

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विगत वर्षों के अव्ययित शेष से उपार्जित राशि से अधिक निधियां जारी की गई है।

#सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए उपार्जित/जारी निधियां शामिल है
